



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 40 राँची, मंगलवार,

24 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

17 नवम्बर, 2022

संख्या-1/आ०-507/2022 का०-7127--विभागीय अधिसूचना संख्या-3036 दिनांक 12.05.2022 द्वारा श्रीमती पूजा सिंघल भा.प्र.से. (झा:2000) को प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार के द्वारा धन शोधन निरोधक अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा-19 के तहत गिरफ्तार किये जाने के आलोक में अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3(3) के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया है ।

2. श्रीमती सिंघल, सम्प्रति निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरुद्ध (detained) रहने के कारण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या-14011/8/2022- AVD- I(B) दिनांक 10.06.2022 द्वारा अगले 30 (तीस) दिनों के लिए निलम्बन विस्तार के लिए सम्पुष्टि एवं स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

3. अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3(8)(c) के आलोक में अखिल भारतीय सेवा संवर्गों के निलम्बित पदाधिकारियों के मामलों की समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय समीक्षा समिति द्वारा दिनांक 28.07.2022 को आहूत बैठक में इस मामले पर विचार किया गया और पाया गया कि श्रीमती पूजा सिंघल सम्प्रति अभी भी न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरुद्ध हैं। अतएव श्रीमती सिंघल को निलम्बन में ही रखने की अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया जो अगले 120 दिनों अर्थात् दिनांक 08.11.2022 तक प्रभावी है।

वर्तमान में श्रीमती सिंघल न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरुद्ध हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देश एवं उपर्युक्त समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में श्रीमती सिंघल को दिनांक 08.11.2022 के पश्चात अगले 180 दिनों तक निलम्बन में ही रखने का निर्णय लिया गया।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव।
